राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12968/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा, बांसवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 21-02-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री घनश्याम व्यास, अधिवक्ता उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 9-1-17 निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर बांसवाड़ा नगर में सिवरेज पाईप लाईन के ठेके में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में की गई शिकायत दिनांक 9-1-17 पर की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 9-2-18 के द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में विनिश्चय प्रेषित कर दिया गया है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 9-2-18 के द्वारा सम्बन्धित अनुभाग से प्राप्त सूचना भिजवाई है एवं उक्त पत्र की प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित की गई है, के साथ उपरोक्त संलग्नक की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत नहीं की है अतः यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को क्या सूचना प्रेषित की गई है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने सूचना का आवेदन दिनांक 9-1-17 प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत किया एवं उसी दिन शिकायत दिनांक 9-1-17 चार विभिन्न विभागों को प्रेषित की गई थी, की प्रति संलग्न कर सूचना चाही कि उक्त शिकायत पर प्रत्यर्थी द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। इस प्रकार एक ही दिन प्रेषित शिकायत एवं सूचना के आवेदन पर सूचना चाहना भविष्यगामी सूचना की श्रेणी में आता है। जिस दिन अपीलार्थी ने सूचना का आवेदन प्रस्तुत किया उस दिन अपीलार्थी की शिकायत अपीलार्थी के ही पास थी अतः उक्त सूचना ना तो सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 2(एफ) के तहत "सूचना" की परिभाषा में आती है एवं ना ही अधिनियम-2005 की धारा 2(जे) के तहत "सूचना का अधिकार" की ही परिभाषा में आती है। राज्य लोक सूचना अधिकारी से वही सूचना चाही जा सकती जो कि राज्य लोक सूचना अधिकारी के नियत्रंणाधीन हो एवं उनके द्वारा संधारित हो। फिर भी प्रत्यर्थी द्वारा विनिश्चय का प्रेषण किया गया है परन्तु प्रेषित विनिश्चय की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में पुनः पंजीकृत डाक से अपीलार्थी को विनिश्चय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त